राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कल्ली देवी बनाम ओंकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	473/2022	
27/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 28/11/2025 को पेश हो।	
28/11/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत मेगा कैम्प में नियत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 29/06/2018 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 11/10/2019 पारित करते हुये वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 128 रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा व हाल खसरा नम्बर 23 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा स्थित ग्राम रामपुरा दूधली तहसील बसी के संवत् 2015 से 2034 के साबिक खातेदारी इन्द्राज के अनुसार वाद के मद संख्या 4 व 5 में दर्ज भूमि का (दिनांक 07/03/2003) को हुए विक्रय पत्र में दर्शित भूमि को छोडकर) वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस आपत्ति जाहिर की गयी है कि अपीलार्थी ने वादग्रस्त खसरा नम्बर 128 रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा में से हिस्सा 22/58 दर हिस्सा 1/12 सम्पूर्ण को प्रतिवादी संख्या 16 भैरूलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17/06/2009 क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था, जिसका अमल भी राजस्व रिकार्ड में दावा दायरी से पूर्व ही दिनांक 10/07/2009 को जरिये नामान्तकरण संख्या 190 हो गया था परन्तु रेस्पो./वादीगण ने रिकार्डेड काबिज सहकृषक अपीलार्थी को पक्षकार बनाये ही वाद पेश कर दिया एवं अधीनरथ न्यायालय द्वारा डिफेक्टिव वाद को राजस्व मेघा लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट में नियत कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए डिक्री कर दिया गया एवं तत्पश्चात दिनांक 11/10/2019 को संशोधित निर्णय पारित कर दिया गया। इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णयों का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी की आपत्ति उचित प्रतीत होती है कि अपीलार्थी के हितबद्ध पक्षकार होने के उपरान्त भी उन्हें पक्षकार समायोजित कर सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही वाद को डिक्री किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है, जो उचित प्रतीत नही होता है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कल्ली देवी बनाम ओंकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अत: ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भावी देरी जाहिर होती है। अत: अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29/06/2018 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 11/10/2019 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि शेष पक्षकारान के साथ ही अपीलार्थी को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर